



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-125

दिनांक-14.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

“फ्लेम्स आफ अरेबिया रेस्टोरेन्ट/कैफे” में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही।

- अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन करने वाले 03 नफर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।
- कैफे से अवैध रूप से संचालित 21 अदद हुक्का, 21 अदद क्वाइल होल्डर, 03 अदद पैकेट हुक्का पान रजनी फ्लेवर, 08 अदद हुक्का फ्लेवर बन्द डिब्बा, 06 अदद हुक्का फ्लेवर खुले डिब्बे, 09 अदद पैकेट अमेरिकन फ्रीजर फ्लेवर तम्बाकू जब्त ।
- थाना विभूतिखण्ड पुलिस की कार्यवाही।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.01.2025 को थाना विभूतिखण्ड की पुलिस टीम के द्वारा रात्रि गश्त के दौरान प्राप्त सूचना कि पीएनबी आवसीय परिसर कालोनी के सामने “फ्लेम्स आफ अरेबिया रेस्टोरेन्ट/कैफे” में नियम विरुद्ध हुक्का का संचालन किया जा रहा है।

इस सूचना पर मौके पर जाकर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की गयी तो पाया गया कि उक्त कैफे द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में उक्त कैफे के प्रवेश द्वार पर 60*30 से0मी0 के न्यूनतम आकार का सफेद बोर्ड नहीं लगा था और ना ही उक्त कैफे में धूम्रपान लोगो के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है के सम्बन्ध में मानको के अनुरूप बोर्ड ही लगा था तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, नहीं लिखा था तथा अवैध तरीके से कोटपा अधिनियम द्वारा जारी आदेश-निर्देशों का बिना पालन किए अवैध रूप से हुक्के का संचालन किया जा रहा था ।

मौके पर मौजूद कैफे कर्मचारियों से उक्त के संबंध में पूछा गया तो कोई स्पष्ट जबाव नहीं दे सका और ना ही कोई हुक्का संचालित किए जाने से सम्बन्धित प्रपत्र/आदेश दिखा सका। इस क्रम में उक्त कैफे के 03 नफर कर्मचारियों को जुर्म से अवगत कराते हुए धारा 13 (क) कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 14.01.25 को गिरफ्तार किया गया तथा बरामद हुक्के इत्यादि का नियमानुसार फर्द बरामदगी तैयार कर कब्जा पुलिस लिया गया। पकड़े गये कर्मियों व बरामद माल के सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका/उद्देश्य:-

“फ्लेम्स आफ अरेबिया रेस्टोरेन्ट/कैफे” में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना शासन व प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते हुए तथा अवैध तरीके से कोटपा अधिनियम द्वारा जारी आदेश-निर्देशों का बिना पालन किए अवैध रूप से हुक्के का संचालन कर आर्थिक उगाही की जा रही थी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

- 1 निखिल सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी – ग्राम संग्रामपुर थाना प्रतापगढ़ उम्र -28 वर्ष
- 2.कामिश ताहिर पुत्र मो० ताहिर निवासी- ग्राम तीन बत्ती आजमपुर थाना मऊआईमा, प्रयागराज उम्र 25 वर्ष
- 3.फहीम खान पुत्र वसीम खान निवासी- बी 634 /5 जी०टी०पी० नगर थाना करेली प्रयागराज उम्र 25 वर्ष

04-बरामदगी:-

1. 21 अदद हुक्का,
2. 21 अदद क्वाइल होल्डर,
3. 03 पैकेट हुक्का पान रजनी फ्लेवर,
4. 08 अदद हुक्का फ्लेवर बन्द डिब्बा,
5. 06 अदद हुक्का फ्लेवर खुले डिब्बे,
6. 09 पैकेट अमेरिकन फ्रीजर फ्लेवर तम्बाकू

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना विभूतिखण्ड-

1. उ.नि. सुश्री निशा सिंह,
2. उ.नि. श्री योगेश सिंह सेंगर,
3. उ.नि. श्री शिवम कुमार,
4. उ.नि. श्री अमरीश कुमार,
5. उ.नि. श्री गणेश पटेल,
6. उ.नि. श्री उपेन्द्र गिरी,
7. कां. प्रदीप कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-123

दिनांक-14.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना काकोरी

- 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 14.01.2025 को थाना काकोरी की पुलिस टीम द्वारा वाँछित वारण्टी अभियुक्त 1. देशराज पुत्र केशन निवासी ग्राम जलियामऊ थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 33 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0- 569/18 मु0अ0सं0- 1072/17 धारा- 138 भा0वि0 अधि0 2.अभिषेक कुमार पुत्र शमशेर निवासी ग्राम हरदोइया लाल नगर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 405/17 मु0अ0सं0 414/16 धारा- 138 भा0वि0 अधि0 को क्रमशः ग्राम जलियामऊ व ग्राम हरदोइया लाल नगर से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. देशराज पुत्र केशन निवासी ग्राम जलियामऊ थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 33 वर्ष ।
2. अभिषेक कुमार पुत्र शमशेर निवासी ग्राम हरदोइया लाल नगर थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष ।

03-सम्बन्धित वाद-

- वाद सं0- 569/18 मु0अ0सं0- 1072/17 धारा- 138 भा0वि0 अधि0
- वाद संख्या 405/17 मु0अ0सं0 414/16 धारा- 138 भा0वि0 अधि0

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उस्मान खॉन कोतवाली काकोरी लखनऊ
2. हे0का0 जितेन्द्र पाल कोतवाली काकोरी लखनऊ
3. हे0का0 दयानन्द तिवारी कोतवाली काकोरी लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं 130

दिनांक-14.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- शांति व्यवस्था भंग करने वाले 04 अभियुक्त को थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 14.01.2025 को उ0नि0 श्री राघवेन्द्र पाण्डेयमय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र में मामूर थे कि ग्राम अटेसुवा में कुछ लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि प्रथम पक्ष के 1. राकेश रावत पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष 2.अमरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 33 वर्ष व द्वितीय पक्ष के 3.सर्वेश पुत्र गुड्डू निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष 4.बृजेश पुत्र गुड्डू निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष आपस में रास्ते में आने जाने को लेकर वाद विवाद कर रहे थे पुलिस बल द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया परन्तु दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए और उत्तेजित होकर आमामादा फौजदारी होने लगे।

संज्ञेय अपराध की घटना को रोकने व लोक शांति को कायम रखने हेतु दोनों पक्षों को आज दिनांक 14/01/2025 को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. राकेश रावत पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष (व्यवसाय- कृषि)
2. अमरेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 33 वर्ष (व्यवसाय- कृषि)
3. सर्वेश पुत्र गुड्डू निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष (व्यवसाय- कृषि)
4. बृजेश पुत्र गुड्डू निवासी ग्राम खेरवा अटेसुवा थाना इटौंजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष (व्यवसाय- कृषि)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 राघवेन्द्र पाण्डेय थाना इटौंजा लखनऊ
2. उ0नि0 अमित कुमारथाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 राहुल यादवथाना इटौंजा लखनऊ
4. का0 हरिगोविन्द यादव थाना इटौंजा लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-124

दिनांक-14.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना चिनहट

घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ व चोरी की घटना का सफल अनावरण

- घटना में शामिल 03 शातिर वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।
- कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस, 10,000/- रुपये नगद व घटना प्रयुक्त 01 अदद चार पहिया वाहन बरामदा।
- सर्विलांस टीम डीसीपी पूर्वी व थाना चिनहट पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

01-कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्री पंकज कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड श्री राधारमण सिंह के निर्देशन में थानाध्यक्ष चिनहट श्री भरत कुमार पाठक के नेतृत्व में थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-13/2025 धारा 115(2)/127(2)/303(2) /351(2)/333/324(4)/317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिनहट लखनऊ से सम्बन्धित 03 नफर वाँछित अभियुक्त

01. तीरथ राम यादव पुत्र स्व0 बलराम यादव निवासी ग्राम फतेहपुर खमराई संसारपुर थाना बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ 23 वर्ष

02. जीतू यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी ग्राम मदारपुर थाना सण्डीला जनपद हरदोई हाल पता जानकीपुरम सेक्टर 6 थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र-36 वर्ष

03. योगेश सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर खमराई संसारपुर थाना बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ 22 वर्ष को देवा रोड टाटा टेलको ओवरब्रिज से आगे मटियारी के तरफ जाने वाले रोड चिनहट के पास से आज दिनांक 14.01.2025 को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 10 हजार रुपये नगद व 01 अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्विफ्ट कार नं0 UP32NJ1195 बरामद किया गया।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-126

दिनांक-14.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- आशियाना

थाना आशियाना क्षेत्रान्तर्गत हुयी चोरी की घटना का सफल अनावरण ।

- रेकी कर चोरी करने वाले 01 शातिर वांछित चोर/नकबजन को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 01 लाख रूपये नगद, कीमती जेवरात, एक अदद ट्राली बैग सहित अन्य घरेलू सामान बरामद।
- थाना आशियाना पुलिस की कार्यवाही।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा विवेक कुमार पुत्र स्व0श्री श्रवण कुमार तिवारी निवासी 1174 थाना आशियाना लखनऊ द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र (प्रकरण- अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर कीमती सामान गहने लैपटॉप,मूर्ति व स्कूटी चोरी करने के सम्बन्ध में) के आधार पर थाना आशियाना, लखनऊ पर दिनांक 07.01.2025 मु0अ0सं0 009/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अज्ञात अभियुक्तगणों की सुरागरी पतारसी करते हुये मुखबिरखास की सूचना के आधार पर अभियुक्त **गणेश धकाल पुत्र गेथान बहादुर धकाल निवासी अवध विहार कॉलोनी सी0आई0पी0टी0 सुनहरा, मानसनगर, लखनऊ, वर्तमान पता नादरगंज अमौसी थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष** को गिरफ्तारी घटनास्थल सेक्टर ओ मानसरोवर कॉलोनी कट पर सर्विस लेन से कल दिनांक 13.01.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया ।

पूछताछ में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के द्वारा अपने साथी सोनू बिहारी पता अज्ञात के बारे में बताया गया जिसकी तलाश जारी है तथा अभियुक्त के द्वारा मु0अ0सं0 433/2024 की चोरी घटना स्वयं अपने साथी के मिलकर कारित किया जाना भी स्वीकार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-गणेश धकाल पुत्र गेथान बहादुर धकाल निवासी अवध विहार कॉलोनी सी आई पी टी सुनहरा, मानसनगर, लखनऊ, वर्तमान पता नादरगंज अमौसी थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 009/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस भादवि थाना-आशियाना, लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0- 433/2024 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस बीएनएस भादवि थाना-आशियाना, लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-128

दिनांक-14.01.2025

जोन-उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

- लड़ाई-झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्त/ अराजकत्वों को किया गया गिरफ्तार ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.01.25 को थाना क्षेत्रान्तर्गत गल्लामण्डी मे कुछ लोग आपस मे लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभि0 1.सूरज यादव उर्फ रविन्द्र पुत्र बलिराम यादव निवासी ब्रह्मदेव मन्दिर के पास, केशवनगर थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र 31 वर्ष2. अमित दीक्षित पुत्र स्व0 मूलचन्द्र दीक्षित निवासी नौबस्ता पुलिया मड़ियाव लखनऊ उम्र 30 वर्ष को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । अभि0गण उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.सूरज यादव उर्फ रविन्द्र पुत्र बलिराम यादव निवासी ब्रह्मदेव मन्दिर के पास, केशवनगर थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र 31 वर्ष व्यवसाय - फल की दुकान ।
- 2.अमित दीक्षित पुत्र स्व0 मूलचन्द्र दीक्षित निवासी नौबस्ता पुलिया मड़ियाव लखनऊ उम्र 30 वर्ष व्यवसाय - फल की दुकान ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. म0उ0नि0 अनामिका सिंह चौहान थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 रोहित कुमार थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
3. का0 जय सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-126

दिनांक-14.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- आशियाना

थाना आशियाना क्षेत्रान्तर्गत हुयी चोरी की घटना का सफल अनावरण ।

- रेकी कर चोरी करने वाले 01 शातिर वांछित चोर/नकबजन को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 01 लाख रूपये नगद, कीमती जेवरात, एक अदद ट्राली बैग सहित अन्य घरेलू सामान बरामद।
- थाना आशियाना पुलिस की कार्यवाही।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा विवेक कुमार पुत्र स्व0श्री श्रवण कुमार तिवारी निवासी 1174 थाना आशियाना लखनऊ द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र (प्रकरण- अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर कीमती सामान गहने लैपटॉप,मूर्ति व स्कूटी चोरी करने के सम्बन्ध में) के आधार पर थाना आशियाना, लखनऊ पर दिनांक 07.01.2025 मु0अ0सं0 009/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अज्ञात अभियुक्तगणों की सुरागरी पतासी करते हुये मुखबिरखास की सूचना के आधार पर अभियुक्त **गणेश धकाल पुत्र गेथान बहादुर धकाल निवासी अवध विहार कॉलोनी सी0आई0पी0टी0 सुनहरा, मानसनगर, लखनऊ, वर्तमान पता नादरगंज अमौसी थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष** को गिरफ्तारी घटनास्थल सेक्टर ओ मानसरोवर कॉलोनी कट पर सर्विस लेन से कल दिनांक 13.01.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया ।

पूछताछ में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के द्वारा अपने साथी सोनू बिहारी पता अज्ञात के बारे में बताया गया जिसकी तलाश जारी है तथा अभियुक्त के द्वारा मु0अ0सं0 433/2024 की चोरी घटना स्वयं अपने साथी के मिलकर कारित किया जाना भी स्वीकार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-गणेश धकाल पुत्र गेथान बहादुर धकाल निवासी अवध विहार कॉलोनी सी आई पी टी सुनहरा, मानसनगर, लखनऊ, वर्तमान पता नादरगंज अमौसी थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 009/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस भादवि थाना-आशियाना, लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0- 433/2024 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस बीएनएस भादवि थाना-आशियाना, लखनऊ ।

04-आपराधिक इतिहास – अन्य थानों से जानकारी की जा रही है।

05-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद नेवी ब्लू कलर का वीआईपी कंपनी का ट्राली बैग,
- 01 लाख रुपये
- 01 अदद अंगूठी पीली धातु,
- 02 अदद बाली पीली धातु,
- 01 अदद नथ पीली धातु,
- 01 जोड़ी पेन्ट शर्ट का कपडा,
- 01 अदद साडी,
- 02 सफेद धोती,
- बेड शीट,
- तकिया कवर,
- 01 सफेद चादर,
- 01 मुकदमा वादी का परिचय पत्र

06-गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का नाम व पता-

1. प्र0नि0 श्री छत्रपाल सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
2. उ0नि0 अफजल थाना आशियाना लखनऊ।
3. उ0नि0 प्रशिक्षु अभिषेक कुमार थाना आशियाना लखनऊ।
4. उ0नि0 प्रशिक्षु लक्ष्मण कुमार थाना आशियाना लखनऊ।
5. उ0नि0 प्रशिक्षु दिनेश कुमार थाना आशियाना लखनऊ।
6. उ0नि0 प्रशिक्षु प्रतीक सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
7. उ0नि0 प्रशिक्षु मनीष सिंह थाना आशियाना लखनऊ।
8. हे0का0 सुरेश पाल थाना आशियाना लखनऊ।
9. हे0का0 अशोक शर्मा थाना आशियाना लखनऊ।
10. का0 सुमित कुमार थाना आशियाना लखनऊ।
11. का0 बिन्टू सिंह थाना आशियाना लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-126

दिनांक-14.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- आशियाना

थाना आशियाना क्षेत्रान्तर्गत हुयी चोरी की घटना का सफल अनावरण ।

- रेकी कर चोरी करने वाले 01 शातिर वांछित चोर/नकबजन को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से 01 लाख रूपये नगद, कीमती जेवरात, एक अदद ट्राली बैग सहित अन्य घरेलू सामान बरामद।
- थाना आशियाना पुलिस की कार्यवाही।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा विवेक कुमार पुत्र स्व0श्री श्रवण कुमार तिवारी निवासी 1174 थाना आशियाना लखनऊ द्वारा दिये गये प्रा0 पत्र (प्रकरण- अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर कीमती सामान गहने लैपटॉप,मूर्ति व स्कूटी चोरी करने के सम्बन्ध में) के आधार पर थाना आशियाना, लखनऊ पर दिनांक 07.01.2025 मु0अ0सं0 009/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के अज्ञात अभियुक्तगणों की सुरागरी पतारसी करते हुये मुखबिरखास की सूचना के आधार पर अभियुक्त **गणेश धकाल पुत्र गेथान बहादुर धकाल निवासी अवध विहार कॉलोनी सी0आई0पी0टी0 सुनहरा, मानसनगर, लखनऊ, वर्तमान पता नादरगंज अमौसी थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष** को गिरफ्तारी घटनास्थल सेक्टर ओ मानसरोवर कॉलोनी कट पर सर्विस लेन से कल दिनांक 13.01.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया ।

पूछताछ में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के द्वारा अपने साथी सोनू बिहारी पता अज्ञात के बारे में बताया गया जिसकी तलाश जारी है तथा अभियुक्त के द्वारा मु0अ0सं0 433/2024 की चोरी घटना स्वयं अपने साथी के मिलकर कारित किया जाना भी स्वीकार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-गणेश धकाल पुत्र गेथान बहादुर धकाल निवासी अवध विहार कॉलोनी सी आई पी टी सुनहरा, मानसनगर, लखनऊ, वर्तमान पता नादरगंज अमौसी थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 009/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस भादवि थाना-आशियाना, लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0- 433/2024 धारा 305(क)/331(4) बीएनएस बीएनएस भादवि थाना-आशियाना, लखनऊ ।

